रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1976/माघ 22, 1897

No. 40] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1976/MAGHA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LATEST SECRETARIAT LIBRARY No. Date

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th February 1976

SUBJECT.—*Licensing conditions applicable to import licences issued under French General Credit, 1975-76.*

No. 17-ITC(PN)/76.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the French General Credit, 1975-76, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

APPENDIX

I. IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with initial validity period of four months for contracting and twelve months for completing shipments. However, in the case of capital goods imports, the initial validity of the licence will be twenty four months from the date of issue.

2. The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the Min. of Commerce which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s).

3. Each import licence will bear a superscription, "French Credit—Project Portion" or "French Credit Non-Project Portion" as the case may be. The two suffixes in the licence code classification number will be—for project—"S/FE" and non-project "S/FN".

4. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (WE-I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

5. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 25 below, are furnished within the stipulated period of four months.

6. Where this stipulation is not complied with within four months the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, alongwith the licence in original, to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirement in time.

7. Such request for revalidation would be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If, however, extension, is sought beyond 6 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

II. CONTRACTING

8. Against an import licence issued under French Credit only one contract on the basis of firm price has to be entered into with the French supplier.

9. However, more than one contract under one import licence may be entered into subject to the permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so, before placing orders.

10. Once a contract has been notified, in accordance with the procedure laid down in Section V below, no amendments to the contract, by way of additions thereto exceeding 10 per cent of the value of the main contract will be entertained.

If, in any case, the Indian importer apprehends that there will be need to enter into amendments to the main contract resulting in the enhancement of its value by more than 10 per cent, he should immediately inform the CCI&E and WE-I Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the full facts of the case and seek their guidance.

11. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties *viz.*, the Indian importer and French supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the French supplier.

12. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising various provisions will not be accepted. In such cases, it shall be necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

III. TERMS OF CONTRACT

13. The contract should be placed on CIF basis. If insurance is paid to an Indian insurance company in Indian rupees, the contract can be placed on C&F basis, which is in any case compulsory for contracts signed by a Government agency or a public sector undertaking. The contract should clearly indicate FOB price, freight and insurance charges separately in the case of CIF contracts and the FOB price and freight charges in the case of C&F contracts.

If any importer desires to enter into a contract on FOB basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

14. If any commission is to be paid to the Indian agent of the French suppliers, it will be shown separately from the value of the contract in French Francs. The Indian agent's commission will be paid in India in rupees but will be charged to the value of the import licence.

15. The rupee value of the contract will be determined in accordance with the rate of exchange applicable to the import licence *vide* para 2 above.

16. **Value of Limits of Contracts.**—The value of each contract should not fall below the amount indicated against each category as under:—

	FF
(i) Large Industrial Projects and projects for heavy equipment (Project Line).	5,000,000
(ii) Fertilizers (Raw Material Line).	500,000
(iii) Capital Goods (Project Line).	200,000
(iv) Other goods (Raw Material Line and small equipment line).	60,000

17. **Origin of Goods.**—The goods should be of French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract. Wherever a part of the goods is permitted to be of non-French origin, a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract.

18. **Port of Shipment.**—Goods, if necessary, can be shipped from non-French Ports.

19. **Payment Terms.**—The French Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the French supplier against shipments/completion of erection/commissioning of the plant as indicated in the following paragraphs.

20. **Advance payments.**—An advance payment of at least 5 per cent of the FOB price of the supplies to be paid at the time of the contract coming into effect, must be provided. Other terms are settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice for the particular type of goods concerned could also be provided.

21. However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, prior approval of the Department of Economic Affairs, should be obtained with full justification, before any commitments are made.

22. **Other payments** : (a) Industrial products.—Apart from the amount of down payment, it is permissible to pay the balance amount at the time of last shipment of equipment under the contract, or at the time of completion of erection, or on commissioning of the plant.

Where the nature of supplies/services covered by the contract requires a performance guarantee, necessitating a provision to the effect that the last instalment of 10 per cent shall not fall due prior to the end of an adequate period after completion of the deliveries of goods or of the project, the importers could alternatively, agree to the provision for making hundred per cent payment at the time of last shipment subject to the condition that a performance guarantee of an approved bank is furnished by the French supplier to the Indian importer; such a guarantee should be discharged at the end of an adequate period after the delivery of the last shipment as agreed mutually between the Indian importer and French supplier.

However, depending on the type of project, the payment for contracts for industrial projects may also be provided for, as for the commodities, referred to in sub-paragraph (b) below.

(b) *Commodities.*—In the contracts for commodities (light equipment, spares, components, chemicals, fertilizers, other raw materials, etc.) the amount left after down payment will be payable pro-rata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

23. **Other Conditions.**—To make a contract eligible for financing under the French Credit it should suitably incorporate the following provisions, apart from those indicated above as also any other condition considered necessary by the contracting parties:

(i) The two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of the Indian and French authorities for financing under the French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol and the licensing conditions issued thereunder by the Government of India.

(ii) The French supplier agrees that he will be paid in French Francs on presentation of documents to the Banque Francaise du commerce Exterieur, on the basis of a "Letter of Instructions" issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance after approval of the contract by the Indian and French authorities.

(iii) The Indian importer and the French supplier agree to furnish such information and documents as may be required under the French Credit arrangements between the Government of India and France.

24. **Customary Guarantee.**—The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

IV. SUBMISSION OF CONTRACT DOCUMENTS

25. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE-I Section), North Block, New Delhi:—

(i) Ten certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language with dated signatures thereon by both the Indian importer and the French supplier.

(ii) Two photo copies of import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) A bank guarantee (as in Annexure I) obtained from a schedule bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. This bank guarantee is not to be furnished by the Government departments and public undertaking.

(iv) Other particulars stipulated in Annexure-II in triplicate. The contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

V. NOTIFICATION OF CONTRACT

26. The contract will be notified by the Department of Economic Affairs, to the Counsellor of Economic Affairs, Embassy of France, New Delhi, provided the contract is complete, the documents, including the bank guarantee, etc., are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the French Credit.

27. The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification as above by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

VI. METHODS OF PAYMENTS

28. Payments are made to the supplier from the French treasury loan and the banks credit, on presentation of documents listed in Annexure III to the Banque Francaise du Commerce Exterieur, Paris on the basis of a "letter of instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, on effectuation of the contract.

29. No remittance from India are permissible under the Import licence issued under the French Credit, except in terms of condition 31 below.

30. Immediately after payments have been effected in accordance with the letter of instruction referred to above, the original set of documents (negotiable), alongwith details of bank charges (1/8th of one per cent documentation charge, plus tax @ 17.60 per cent thereon) and expenses on postage etc. will be sent by the Banque Francaise du Commerce Exterieur, Parts, to:—

(i) the importer's bank in India, which has provided the bank guarantee in the case of importers in the private sector; or

(ii) to the nominated branch of the State Bank of India, or of any one of the fourteen nationalised banks, in the case of public sector undertakings, State Governments including State Electricity Boards; or

(iii) to the importer direct, in the case of departments of Central Government.

31. Within a week of receiving the intimation about bank charges, from the Banque Francaise du Commerce Exterieur, Paris the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the French bank concerned without affecting Government of India's account.

32. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer, in addition to the amount required under their guarantee.

33. In respect of imports by Central Government Departments the remittances of banking charges and postage including cable charges will be arranged by the Controller of Aid Accounts and Audit, by debit to the authority concerned. For this purpose those authorities should intimate the details of the charges to be paid, promptly to the Controller of Aid Accounts and Audit.

VII. EFFECTING RUPEE DEPOSITS

34. (i) **Private Sector Importers, public sector undertakings and State Government Departments including State Electricity Boards.**—Within ten days, at the maximum, of the receipt of the documents mentioned in condition 30 supra, the bank which has issued the guarantee, or the nominated branch of the State Bank of India, will arrange the deposit equivalent of the payment made to the foreign suppliers as indicated in the invoice together with commission and incidental charges @ 1 per cent *ad valorem*, on the payments made to the suppliers. In addition, interest at 6 per cent per annum, for the actual period between the date of payment to the foreign suppliers and the date of deposit of rupee equivalent, or any other amounts, as may be required by the Government of India shall also be paid into the government account.

The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972, as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972, or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Ministry of Commerce.

(ii) **Central Government Departments.**—In respect of imports made by the departments of Central Government the documents will be sent direct to the importers, who will ensure that their respective Accounts Officers promptly accept the debits, as and when raised by the Accountant General, Central Revenues, New Delhi, on the basis of the advices issued by the Controller of Aid Accounts and Audit. The procedure of making deposits as indicated in para 34(i) above will not apply in their case.

35. It will be the responsibility of the concerned bank in India which has given the guarantee or the State Bank of India or one of the fourteen nationalised banks, as the case may be, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original shipping documents are handed over to the importer.

36. Deposits may be made either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from the local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Central Government account in terms of Ministry of Commerce Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, and Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 14th October, 1968. The challan should *inter-alia*, indicate letters of instructions No. and date, the amount of foreign exchange the composite rate applied, the date on which the supplier was paid and the date of rupee deposit and all other essential particulars prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971. The principal amount, the incidental charge @ 1 per cent *ad valorem* and the interest payment at 6 per cent should be shown separately alongwith the period for which interest has been calculated. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan, (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate The Head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances (b) deposits not bearing interest-843-Civil Deposits for purchases from abroad under 225 m. FF French General Credit 1975-76."

37. One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposit duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or intimation regarding the furnishing of demand draft to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 should be sent by registered post by the bank concerned to the Controller of Aid Accounts and Audit indicating reference to the letter of instructions issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

38. It will be obligatory for the importer to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only. The Indian bank will also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the import licence and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

39. **Review of Rupee deposits made by the importer for the release of Bank guarantee where submitted in support of Letter of Instructions.**—As soon as the shipments are completed, but not later than one month after the last shipment is cleared, a statement in the form given in Annexure-IV will be rendered by the importer's bank to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi under a registered cover, under advice to the importer. It will be obligatory on the part of the importer to ensure that Annexure IV is correctly prepared by the Bank concerned and is rendered to the Controller of Aid Accounts and Audit within one month of the completion of shipments authorised in the relevant Letter of Instructions.

VIII. MISCELLANOUS

40. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French Suppliers.

41. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the French Government and French banks.

42. Any breach or violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Import and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder.

ANNEXURE I

[Para 25 (iii)]

BANK GUARANTEE BOND

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) have agreed to arrange for payment in FF for the import of_____ by_____ (hereinafter called the importers) under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No._____ issued on_____ in favour of the importer against the above mentioned credit, we_____ Bank, at the request of the Importer hereby undertake to arrange to deposit within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupees equivalent to FF_____ converted at the composite rate of exchange of FF 1 arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972, as amended by Public Notice No. 108-ITC (PN)/72 dated 21st July, 1972, or as notified from time to time in public notices of the Government of India or A.D. Circulars of the Reserve Bank of India alongwith commission and other charge at 1 per cent *ad valorem* converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum, from the date of payment to the French Sup-

plier to the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. We shall arrange the deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or where this may not be feasible by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The demand draft shall be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, alongwith Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We the——————————————Bank, also undertake that the negotiable set of import documents will be released to the importer *only after the rupee deposits contemplated above have been made.*

3. We the —————————————— Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct, such sums not exceeding Rs.——————————or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with interest thereon at the rate of six per cent per annum from the date of payment to the French supplier and commission and other charges @ 1 per cent *ad valorem.* The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us——————————————Bank, shall be final and binding on us——————————————Bank.

**4. We——————————————Bank also undertake to remit the banking and postal including cable charges payable to the French bank concerned and recover the same from the importer without affecting the Government of India account.

5. We——————————————Bank, further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in composite rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

6. We——————————————Bank, further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the——————————————Bank and the Government shall have the fullest liberty without the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the——————————————Bank, shall not be released from its liability under this guarantee for any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the——————————————Bank from its such liability.

8. We——————————————Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs. —@———— (plus interest charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the —————————— day* of —————————— (Month) 19————.

10. We ——————————————, however, undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972, as notified from time to time. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action

to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, *i.e.* upto——————, all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated for ———————— day of ————————

for

Accepted for and on behalf of the President of India
by Shri————————
(Name and designation)
Signature ————————

@This amount should be worked out by adding 1 per cent to the value of the contract at the customs exchange rate prevailing on the date of issue of import licence.

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note:—The value of the stamped papers on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

ANNEXURE II

(*In duplicate*)

[Para 25 (iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(WE-I Section), North Block,
New Delhi.

Subject:—Import under the Special French Credit 1975-76.

Sir,

In connection with the import of ———————————————from France
(short description of the goods or services)

under the above credit, we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of the importer—

(b) Import Licence:
  (i) Number
  (ii) Date
  (iii) Amount

(c) Name and Address of the French Suppliers;

(d) Date of the contract;

OR

Date of supplier's final letter of acceptance of the order

(e) Percentage of goods of non-French origin, if any (now-manufactured in France).

(f) Value of the contract in French Francs
FOB Price

Less Indian agent's commission if any————————————
Net FOB Price

plus Freight ————————————
C&F Price

plus Insurance if paid in French Francs ————————————

Total CIF price to be financed under the Credit.

(g) (i) Dates of shipment or on which services will be performed

(ii) Value of each shipment or services performed, as stipulated in the contracts

(h) The date on which payments under the contract will fall

(i) in respect of advance payment (at least 5 per cent of FOB value)

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and two photostat copies of the import licence are enclosed.

3. A bank guarantee established——————————

(Name & address of the Indian bank, authorised to deal in foreign exchange) — applicable to importers in private sector

and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamp Act, 1899, is also attached.

OR

*3. the import documents may be sent to the

(complete name and postal address of the branch of State Bank of Indi or of any of the fourteen nationalised banks) — Applicable to the public sector Undertaking State Govts. including State Electricity Boards.

who will release the documents to us only after making the deposit of the rupee equivalents into Government account calculated at the composite rate of exchange arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 as amended by PN No. 108/72 dated 21-7-72 or as notified from time to time by public notices of the Government of India or by A.D. Circulars of the Reserve Bank of India with interest at 6 per cent per annum from the date of payment to the French Suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and commission and incidental charges at 1 per cent ad valorem and after permitting banking charges (1/8th of one per cent documentation charges plus tax @ 17.60 per cent thereon) and expenses for actual postage charges as required under the licensing conditions.

OR

*3. Debits relating to the transactions and adjustable in the books

(designation and complete postal address of the Accounts Officer) — Applicable only to Department of Central Government.

and we shall ensure that they are adjusted as soon as they are raised in terms of the licensing conditions.

(*) Delete whichever is not applicable.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the French Credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,

LICENSEE

ANNEXURE III

Illustrative List of Documents

(Para 28)

1. Commercial invoice for the value of equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of lading or air way bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificate, if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers alongwith necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentage of Non-French expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

ANNEXURE IV

(Para 39)

Form to be submitted by Importer's Bank immediately after the completion of shipments financed under French Credit for FF———— dated———— for————

(*i*) Name of Importer————

(*ii*) Import Licence No.————

(*iii*) B. G. No.———— Date———— Amount———— (To be completed by private sector importer)

(*iv*) Ministry of Finance Letter of Instruction No.———— dated————

(*v*) Amount of Letter of Instruction in FF————

S. Nos.	Amount paid by French Banks to French Suppliers F.F.	Date of payment by the French Bank to Supplier	Rupee equivalent of amount in Col. 2	1% Incidental charges	No. of days intervening between the date of payment to supplier to the date of rupee deposits (both days inclusive)	Amount of Interest	Total deposit actually made	SBI/Tis Hazari RBI' New Delhi Treasury Challan No. & Date	*** Amount authorised but not utilised and lapsed [Difference (*v*) & Col. 2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(*i*)									
(*ii*)									
(*iii*)									
(*iv*)									
Total									

(*i*) The above information has been checked from our records and found correct.

(*ii*) All miscellaneous banking charges of the French Banks under the above LI have been remitted direct to them.

(*iii*) As all obligation in terms of our B.G. No.————dated————have been discharged the B.G. may please be released.

Signature of Authorised Officerof the Bank.

(Sd) P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1976

विषय:—फ्रान्सिसी सामान्य ऋण, 1975–76 के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसन्स शर्तें ।

संख्या 17–आई० टी० सी० (पी एन)/76:—फ्रान्सिसी सामान्य ऋण, 1975–76 के अधीन आयात लाइसेंन्सों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है ।

परिशिष्ट

I. आयात लाईसेंस

1. आयात लाइसेंस लागत–बीमा-भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए चार महीने और पीतलदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा । लेकिन, पूंजीगत माल के आयातों के मामले में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता जारी होने की तिथि से 24 महीनों के लिए होगी ।

2. आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि को प्रचलित और मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या : 78–आई टी सी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार, आयात लाइसेंस (सों) के मुख्य भाग में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, यह सार्वजनिक सूचना यह भी व्यवस्था करती है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर लाइसेंन्स (सों) के मूल्य के नाम ऋणाकंन करेंगे ।

3. प्रत्येक लाइसेंस पर एक शीर्ष "फ्रान्सिसी ऋण–परियोजना भाग" या "फ्रान्स ऋण गैर–परियोजना भाग," जैसा की मामला हो, होगा । लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्यय "एस]एफ ई" परियोजना के लिए और "एस/एफ/एन"— गैर परियोजना के लिए होंगे ।

4. आयात लाइसस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या दिनांक तथा मूल्य और जिस तिथि तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उसकी सम्भाव्य तिथि निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग) को अवगत करना चाहिए ।

5. जब तक नीचे के पैरा 25 की शर्त के अनुसार, पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि संविदा करने से संबंधित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है ।

6. जिस मामले में इस अनुबन्ध का चार महीनों के भीतर अनुपालन नहीं किया जाएगा, उसमें आयात लाइसेंस अवैध समझा जाएगा । लेकिन पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस की शर्तों का समय के भीतर अनुपालन न करने के कारण बताते हुए मूल लाइसेंस के साथ एक आवेदन पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयत लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है ।

7. पुनर्वैधीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक दो महीनों की और आगे अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 6 महीने से अधिक मांगी गई है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डबल्यू ई–1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

II. संविदा करना

8. फ्रान्सिसी ऋण के अधीन जारी किए गए आयत लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा निश्चित कीमत के आधार पर फ्रान्सिसी संभरक के साथ करनी है ।

9. लेकिन, एक आयात लाइसेंस के अधीन एक से अधिक संविदाएं तभी की जा सकती हैं जबकि आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण बताते हुए आर्थिक कार्य विभाग से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो ।

10. नीचे खंड 5 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, जब एक बार संविदा अधिसूचित कर दी गई हो तो उसके बाद उसमें मुख्य संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक के संकलनों के तरीके से भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि किसी मामले में भारतीय आयतक को यह अनुभव हो जाता है कि मूल्य संविदा में इसके मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए संशोधन करने आवश्यक होंगे तो उसे तुरन्त ही मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डबल्यू ई–1 अनुभाग को मामलों के पूर्ण तथ्यों की सूचना देनी चाहिए और उनके मार्ग दर्शन मांगना चाहिए ।

11. संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयतक और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयतक द्वारा दिया गया आदेश और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा स्पष्ट शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति का पत्र शामिल होगा ।

12. जिस संविदा में दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित परिशोधित करने के पत्राचारों की श्रृंखला शामिल होगी वह स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार की गई और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी जाती है ।

III. संविदा की शर्तें

13. संविदा लागत–बीमा–भाड़ों के आधार पर करनी चाहिए । यदि बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी को भारतीय रुपये में चुकाया जाता है तो संविदा लागत तथा भाड़े के आधार पर की जा सकती है, जोकि सरकारी अभिकरण या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए प्रत्येक मामले में अनिवार्य है । लागत, बीमा, भाड़ा संविदाओं के मामले में संविदा में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत, भाड़ा, बीमा खर्च और लागत तथा भाड़ा संविदाओं के मामलों में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत और भाड़ा खर्च स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्दिष्ट होने चाहिए ।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निशुल्क आधार पर संविदा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने के कारण देते हुए वित्तीय कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व अनुमति मांगनी चाहिए ।

14. यदि फ्रेंच संभरक के भारतीय अभिकर्ता को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो यह संविदा के मूल्य से अलग फ्रान्सिसी फ्रैंकों में दिखाया जाएगा । भारतीय अभिकर्ता का कमीशन भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति जोड़ा जाएगा ।

15. संविदा का रुपये में मूल्य आयत लाइसेंस के लिए लागू मुद्रा विनिमय की दर के अनुसार, निश्चित किया जाएगा । देखिए उपर्युक्त पैरा 2 ।

16. **संविदा की मूल्य सीमाएं** :—प्रत्येक संविदा का मूल्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी के सामने निर्दिष्ट धनराशि से कम नहीं होना चाहिए :—

	फा० फ्रैंक
(1) वृहत औद्योगिक परियोजनाएं और भारी उपस्कर (परियोजना लाइन) के लिए परियोजनाएं	5,000,000
(2) उर्वरक (कच्ची सामग्री लाइन)	500,000
(3) पूंजीगत माल (परियोजना लाइन)	200,000
(4) अन्य माल (कच्ची सामग्री लाइन और लघु उपस्कर लाइन)	60,000

17. माल फ्रान्सीसी मूल का होना चाहिए। माल के उद्गम स्थान के विषय में संविदा में एक अनुबन्ध समाविष्ट होना चाहिए । जहां कहीं ऐसे माल के एक भाग की स्वीकृति दी जाती है जो गैर-फ्रान्स उद्गम का हो तो तीसरे देश के आयातों के लिए फ्रान्सीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए ।

18. **पोतलदान का पत्तन**.—यदि आवश्यक हो तो माल गैर फ्रान्सीसी पत्तनों से भी लादा जा सकता है ।

19. फ्रान्सीसी क्रेडिट में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था नहीं है । इसलिए फ्रान्सीसी संभरक को पूरा भुगतान पोतलदानों पर/निर्माण पूरा हो जाने पर संयंत्र के नियोजित हो जाने पर नीचे की कंडिकाओं में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा ।

20. **अग्रिम भुगतान**:—संविदा लागू होने के समय चुकाई जाने वाली संभरणों की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत के कम से कम 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए । अन्य शर्तों जो किसी विशेष प्रकार के सम्बद्ध माल के लिए सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच से तय की जाती है, की भी व्यवस्था की जा सकती है ।

21. लेकिन, जिस मामले में 5 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान के लिए व्यवस्था करनी हो उसमें कोई वचनबद्धता करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ वित्तीय कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

22. **अन्य भुगतान** : (क) **औद्योगिक परियोजना.** —तत्क्षण भुगतान की धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि संविदा के अधीन उपस्कर के अन्तिम पोतलदान के समय, या निर्माण के पूर्ण होने के समय या संयंत्र के नियोजित हो जाने के समय चुकाने की अनुमति है।

जिस मामले में संविदा के अन्तर्गत आने वाले संभरण/सेवाएं ऐसी हों कि उन में ऐसी एक निष्पादन गारंटी की आवश्यकता हो जिस में इस सम्बन्ध में एक अनुबन्ध की आवश्यकता हो कि 10 प्रतिशत की अन्तिम किश्त माल के वितरण के पूर्ण होने या परियोजना पूर्ण होने के पर्याप्त समय के बाद तक देय नहीं होगा तो ऐसे मामले में आयातकों को चाहिए कि वे 100 प्रतिशत भुगतान अन्तिम पोतलदान के समय करने की शर्त से सहमत हो जाएं और यह इस शर्त के अधीन है कि फ्रान्सिसी संभरक द्वारा भारतीय आयातक को किसी अनुमोदित बैंक से एक निष्पादन गारन्टी प्रस्तुत की जाती है, ऐसी गारन्टी अन्तिम पोतलदान के माल के वितरण के पर्याप्त समय जो भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक के बीच आपस में तय किया जाए, के बाद मुक्त की जानी चाहिए।

लेकिन, भुगतान परियोजना की किस्म पर निर्भर करता है, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संविदाओं के लिए भुगतान की व्यवस्था की नीचे उप-कंडिका (ख) में वर्णित पण्य वस्तुओं की तरह ही की जा सकती है।

(ख) **पण्यवस्तुएं.**—पण्यवस्तुओं (हल्के उपस्कर, फालतू पुर्जे, संघटन, रसायन उर्वरक, अन्य कच्ची सामग्री आदि) के लिए संविदाओं में तत्क्षण भुगतान के बाद शेष धनराशि प्रत्येक लदान द्वारा शामिल माल के मूल्य के अनुसार पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी।

23. **अन्य शर्तें**:—फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को वित्तदान के लिए अर्हक बनाने के लिए ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपबन्धों के भी अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित उपबन्ध भी उचित रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(1) संविदा करने वाली दोनों पार्टियां सहमत हैं कि संविदा भारत-फ्रान्स वित्तीय शर्तों नयाचार और उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेन्स शर्तों के अनुसार, विशेष फान्सीसी क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारतीय और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है।

(2) फान्सिसी संभरक सहमत है कि भारतीय और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों द्वारा संविदा के अनुमोदन के बाद सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "अनुदेश पत्र" के आधार पर बैंक फ्रेन्काइज इ कामर्स एक्टीरियर को दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसकी फ्रान्सिसी फ्रैंकों में भुगतान किया जाएगा।

(3) भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने को सहमत हैं जो भारत सरकार और फ्रान्सिसी सरकार के बीच फ्रान्सिसी क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मांगे जाएं।

24. आयातक समझौते में ऐसी प्रस्थागत गारन्टी (यों) की व्यवस्था कर सकता है और दे सकता है जो उसके हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

IV. संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

25. संविदा समाप्त होने के 20 दिन के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत् कार्यान्वित संविदा और बाद में किए गए किसी संशोधन (नों) की 10 प्रमाणित प्रतियां ।

(2) आयातक द्वारा फ्रान्सिसी संभरक को दिए गए आदेश की फ्रान्सिसी संभरक द्वारा संविदा/स्वीकृति की निष्पादन तिथि को संविदा करने के लिये वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा के व्यापारी अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारन्टी (अनुबन्ध–1 के अनुसार) । यह बैंक गारन्टी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी हैं ।

(4) अनुबन्ध 1 में निर्धारित अन्य ब्यौरे तीन प्रतियों में संविदा पर आगे तभी विचार किया जाएगा जबकि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

V. संविदा को अधिसूचित करना

26. संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्यों के सलाहकार, फ्रान्सिसी दूतावास, नई दिल्ली, को अधिसूचित की जाएगी, यदि यह पूर्ण है, दस्तावेज बैंक गारन्टी आदि सहित सही है तो आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है और फ्रान्सीसी क्रेडिट के अधीन वित्तदान के लिए अर्हक समझा जाएगा ।

27. संविदा उपर्युक्त अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना के 20 दिनों के बाद लागू समझी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रान्सिसी दूतावास द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती ।

VI. भुगतानों के तरीके

28. संभरक को भुगतान, बैंक फेन्काइजड कामर्स एक्सट्रियर, पेरिस को अनुबन्ध-3 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रान्सिसी राजकोष ऋण और बैंक क्रेडिट से संविदा प्रभारी होने पर, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले "अनुदेश-पत्र" के आधार पर किए जाएंगे ।

29. फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन नीचे की शर्त 31 के सिवाय भारत से किसी भी धन परेषण की अनुमति नहीं है ।

30. ऊपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्रभारी हो जाने के तुरन्त बाद बैंक प्रभारों (एक प्रतिशत दस्तावेजीकरण खर्च का 1/8 उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) और डाक खर्च आदि के ब्यौरों के साथ दस्तावेजों (परक्राम्य) का मूल सेट, बैंक में फेंक्काइजड कामर्स एक्ट्रीयर, पेरिस द्वारा निम्नलिखित को भेजा जाएगा:—

(1) भारत में आयातक के उस बैंक को जिसने जिनी क्षेत्र के निर्यातों के मामले में बैंक गारंटी प्रदान की है, या

(2) सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रमों, राज्य सरकारों जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं, के मामले में भारत के स्टेट बैंक की मनोनित शाखा को या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक को, या

(3) केन्द्रीय सरकार के विभागों के मामले में सीधे आयातक को।

31. बैंक्यू नेशनल डि पैरिस से बैंक प्रभारों की सूचना प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर ही भारतीय बैंक केबुल प्रभारों सहित बैंक प्रभारों और डाक खर्चों की धनराशि को भारत सरकार के लेखे प्रभावित किए बिना फ्रान्स के सम्बद्ध बैंक को सीधे ही प्रेषण करेगा।

32. इस कार्य के लिए, उनकी गारंटी के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि के अलावा भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से आवश्यक रुपये वसूल किए जाएंगे।

33. केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा आयातों के मामले में केवल प्रभारों सहित बैंकिंग प्रभारों एवं डाक खर्चों के प्रेषण की व्यवस्था सम्बद्ध प्राधिकारी के नामे डाल कर लेखा तथा लेखा परीक्षा, नियंत्रण द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए उन प्राधिकारियों को चाहिए कि चुकाए जाने वाले प्रभारों के ब्यौरे की सूचना शीघ्र ही लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को दें।

VII. रुपए में भुगतान को प्रभावित करना

34. (1) **राज्य विद्युत बोर्डों सहित निजी क्षेत्र के आयातक, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम एवं राज्य सरकार के विभाग.**—ऊपर की कंडिका 30 में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर ही जिस बैंक ने गारंटी जारी की है वह या भारत के स्टेट बैंक की नामित शाखा या भारत में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से कोई एक बैंक बीजक में यथा संकलित विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही संभरकों को किए गए भुगतानों पर यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से कमीशन और आकस्मिक प्रभार भी करेगा। उसके अतिरिक्त, विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान एवं समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख के बीच की वास्तविक अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज या अन्य कोई धनराशि जिसकी अपेक्षा भारत सरकार से की जाएगी, उसे भी सरकारी खाते में चुकाया जाएगा।

समतुल्य रुपये आकलन सार्वजनिक सूचना संख्या : 108–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21–7–72 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28–1–72 में दिए गए फार्मूले के आधार पर मिली जुली दर पर किया जाएगा या वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से समय समय पर अधिसूचित सूचनाओं के आधार पर किया जा सकता है।

(2) **केन्द्रीय सरकार के विभाग.**– केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के मामले में, प्रलेख सीधे ही आयातकों को भेजे जाएंगे जो इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक, द्वारा जारी किए गए परामर्शों के आधार पर जब और जैसे ही महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा उत्थित किए जाने पर उनके संबंधित लेखा अधिकारी नामे खाते को शीघ्र ही स्वीकार करता है। उपर्युक्त पैरा 34(1) में निर्दिष्ट जमा करने की प्रक्रिया उनके मामले में लागू नहीं होगी।

35. भारत में जिस सम्बद्ध बैंक ने गारंटी दी है या भारत के स्टेट बैंक या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक; जैसा भी मामला हो, तो यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि आयातक को मूल पोतपरिवहन दस्तावेज देने से पहले देय धनराशियां सरकारी लेखे में ठीक तरह से जमा की गई हैं।

36. जमा या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में, या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 में किया जा सकता है, या भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या इसके उपसंगी से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत के स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती तथा प्रायी) के नाम में और क्रेडिट के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 184–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30–8–1968 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या 233–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 14 अक्तूबर, 1968 के अनुसार धन प्रेषण किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ साथ चालान में अनुदेशपत्रों की संख्या और दिनांक, विदेशी मुद्रा को धनराशि, लागू की गई मिश्रित दर, संभरकों को भुगतान की तिथि और रुपया जमा करने की तिथि तथा अन्य सभी आवश्यक ब्यौरे जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 132–आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5–10–71 में निर्धारित किए गए हैं, संकेतित होने चाहिए। मूल धनराशि, 1 प्रतिशत तथा मूल्य की दर से आकस्मिक प्रभार और 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान को अलग अलग दर्शाना चाहिए और साथ ही जिस अवधि के लिए ब्याज वसूला गया है, उसे भी दर्शाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट राजकोष चालान (विधिवत् पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली-6 को सीधे ही भेजना चाहिए। लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत धनराशि जमा होना है, वह है "के-डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज (बी) डिपोजिट्स नाट बीयरिंग इन्टरेस्ट 843–सिविल डिपोजिट्स फार परचेजज फरोम एब्रौड अन्डर 225 एम० एफ० एफ० जनरल क्रेडिट 1975–76।"

37. राजकोष चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि रुपया निक्षेप विधिवत् भारत के रिजर्व बैंक या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है या डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध सूचना सम्बद्ध है बैंक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक को उनके द्वारा जारी किए गए निदेश पत्र का उल्लेख करते हुए और बीजक तथा पोतलदान दस्तावेजों की प्रतियों को भी संलग्न करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए।

38. आयातक के लिए आवश्यक होगा कि वह आवश्यक रुपया केवल व्यापारी के माध्यम से ही जमा करें। भारतीय बैंक भी आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करेगा और आवश्यक "एस" प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजेगा।

39. **अनुदेशपत्र के समर्थन में जिस मामले में बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हो उसकी रिहाई के लिए आयातक द्वारा किए गए रुपया निक्षेपों की पुनरोक्षा.**—पोतलदान पूर्ण होते ही, परन्तु अंतिम पोतलदान पारित होने के एक महीने से अधिक नहीं, आयातक के बैंक द्वारा अनुबन्ध 4 में दिए गए प्रपत्र में पंजीकृत डाक द्वारा एक विवरण सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आयातक को सूचना देते हुए भेजा जाएगा। आयातक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि सम्बद्ध बैंक द्वारा अनुबन्ध 4 का प्रपत्र ठीक तरह से तैयार किया गया है और सम्बन्धित अनुदेश पत्र में प्राधिकृत पोतलदानों के पूर्ण होने के एक महीने के भीतर वह प्रपत्र सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है।

VIII. विविध

40. भारतीय आयातक और फ्रेंच संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार का झगड़ा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

41. भारतीय आयातक आयात लाइसेंस के संबन्ध में उठने वाले किसी एक मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का और फ्रान्सीसी सरकार तथा फ्रान्सीसी बैंकों के साथ ऋण समझौते के अधीन सभी दायित्वों को पूर्ण करने का तुरन्त पालन करेगा।

42. इसमें निर्धारित किसी भी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन करने या इसे तोड़ने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध–I

[पैरा 25(3)]

बैंक गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के हेतु फ्रेन्च क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत.....को उपर्युक्त फ्रेन्च क्रेडिट के प्रति जारी
(इसके बाद इसे आयातक कहा गया है)
किए गए लाइसेंस संख्या :..... दिनांक ..... के अनुसरण में आयातक द्वारा..... के आयात के लिए फ्रान्सीसी फ्रैन्क में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम
.....
उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक में

जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना संख्या : 108–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21–7–1972 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28–1–72 में दिए गए फार्मूले या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ए० डी० परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगाकर एफ एफ आई के विनिमय की मिलीजुली दर पर परिवर्तित फ्रान्सीसी फ्रेन्क ..... के समतुल्य भारतीय रुपये तथा उसके साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और इस पर फ्रान्सीसी संभरक को भुगतान करने की तिथि से लेकर सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद, भुगतान की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 में सरकार के खाते में निक्षेप की व्यवस्था करेंगे और यह संभव नहीं हो सकने की स्थिति में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और इसको देय दर्शनी हूण्डी के माध्यम से व्यवस्था करें। दर्शन हूण्डी राजकोष चालान (विधिवत भरे हुए और प्रेषणकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को सीधे भेज दी जाएगी।

2. हम.....बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजों के परक्राम्य सेट की रिहाई आयातक को **केवल तभी की जाएगी जबकि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो**।

3. हम.....बैंक, किसी बकाया धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो.....रुपये से अधिक नहीं हो या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ, फ्रेन्च संभरकों को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा कमीशन और **यथा मूल्य** 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षति पूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे .....बैंक द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में त्रुटि होने पर हमारे .....बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा।

4. हम.....बैंक, यह भी वचन देते हैं कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चों सहित बैंक तथा डाक प्रभारों को प्रेषित कर देंगे और उसको आयातक से वसूल कर लेंगे।

5. हम.....बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर में या अन्यथा परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आयातों के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारंटी बांड में उसी तिथि से और उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

6. हम.....बैंक, इससे भी सहमत है कि यह गारंटी साज-सामान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नहीं चुका दी जाएगी और इसके दावों की संतुष्टी या अदायगी नहीं कर दी जाएगी, तब तक पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगी ।

7. इस गारंटी बांड में निहित जिम्मेदारी आयातक या..... या बैंक के संघटन में कोई परिवर्तन हो जाने पर प्रभावित नहीं होगी ; और इस गारंटी में प्राप्त जिस धनराशि का भुगतान आयातक से कराना है उसको चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार को गारंटी को रद्द किए बिना अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय के लिए या समय-समय पर आयातक के लिए विरुद्ध प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में या आयातक को दिये जाने वाले समय के कारण या आयातक को सरकार द्वारा उसकी तरफ किसी अनुग्रह के कारण कोई अन्य स्थगन, कार्य या छूट या जिम्मेदारियों से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत किसी अन्य मामले में या किसी भी बात से सरकार के अधिकार की स्वतंत्रता के कारण..... बैंक इस गारंटी के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा ।

8. हम.....बैंक, अन्त में यह वचन देते हैं कि सरकार को लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

9. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.....रुपये (इस पर ब्याज प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी..... दिन** ..... (मास)..... 19..... तक लागू रहेगी ।

10. लेकिन, हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन देते हैं जो समय समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना संख्या : 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-72 की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो । जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत इस तिथि के छह मास के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं किए जाते और इसके बाद जैसे..... तक अलग छह मास के भीतर जब तक इन दावों को क्रियन्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कारवाई नहीं की जाती तो इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार, समाप्त हो जाएंगे और हम इसमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पाजाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

श्री .... दिन को तारीख .....
(नाम और ओहदा)

के द्वारा कृते .....

भारत के राष्ट्रपति के लिए
उनकी ओर से स्वीकृति

दस्ताक्षर :.....

* यह राशि संविदा के मूल्य के लिए मिली जुली दर जो 1 एफ एफ-1.822 रुपये है उसमें 1 प्रतिशत को जोड़ कर ही निकाली जानी चाहिये ।

** यह तिथि जिस तिथि को संभरकों के लिये सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, उसमें एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी ।

टिप्पणी.— यह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे कलक्टर द्वारा निर्णित किया जाना है ।

अनुबन्ध–II

(दो प्रतियों में)

[पैरा 25(4)]

सेवा में

सचिव,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली-. 1

विषय.—फ्रान्स ऋण 1975–76 के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रान्स से .....

(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

का आयात करने के सम्बध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते है :—

(क) आयातक का नाम और पता :

(ख) आयात लाइसेंस :

(1) संख्या :

(2) दिनांक :

(3) धनराशि :

(ग) फ्रेन्च संभरक का नाम और पता :

(घ) संविदा का दिनांक,
अथवा

आदेशों की स्वीकृत के संभरकों के अन्तिम पत्र का दिनांक :

(ङ) गैर फ्रान्सिसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो (अब फ्रान्स में निर्मित किया गया हो):

(च) संविदा का मूल्य : फ्रान्सिसी फ्रेन्कों में पोत पर्यन्त निशुल्क कीमत :

(**घटा**) भारतीय एजेंट का कमीशन, यदि कोई हो, कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य+भाड़ा .....

.....

लागत तथा भाड़ा कीमत+बीमा यदि फा० फ्रे० में चुकाया गया हो .....

ऋण के अन्तर्गत वित्त दान की जाने वाली कुल लागत बीमा भाड़ा कीमत .....

(छ) (1) पोतलदान की तिथियां या वे तिथियां जिनको सेवा कार्य पूर्ण किए जाएंगे.

(2) संविदा में यथा निर्धारित, प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किए गए सेवा कार्य का मूल्य

(ज) वह तिथि जिसको इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होगा :—

(1) अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में (जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का कम से कम 5 प्रतिशत)

(2) अन्य भुगतान

2. संविदा की (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो **फोटोस्टेट प्रतियां** संलग्न की जाती हैं ।

*3. एक बैंक गारन्टी जो ..... केवल निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए लागू है ।

.....

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पता)

जारी की जाएगी है और जो स्टाम्प अधिनियम

1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर द्वारा न्यायनिर्णित की गई है वह भी संलग्न है ।

या

*3. अर्थात प्रेषक (स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से किसी बैंक का पूरा नाम तथा पता) ..... सार्वजनिक क्षेत्र प्रकमों और राज्य विद्युत बोर्ड सहित राज्य सरकारों के लिए लागू है ।

.....

को भेजा जा सकता है जो सार्वजनिक सूचना संख्या 108—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21—7—72 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 15—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28—1—1972 या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तथा अधिसूचित सार्वजनिक सूचनाओं या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित ए० डी० परिपत्रों में दिए गए फार्मूले के आधार पर लगाए गए परिवर्तन की मिलीजुली दर पर परिगणित समतुल्य रुपये और फ्रेन्च संभरक को भुगतान करने की तारीख से समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज और लाइसेंस शर्तों की कंडिका 15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित यथा मूल्य की दर पर 1 प्रतिशत कमीशन और आनुषंगिक प्रभारों (प्रलेखीय प्रभारों के एक प्रतिशत का 1/8 और उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर तथा वास्तविक डाक प्रभारों के लिए खर्चे) के साथ सरकार के लेखे में जमा करने के केवल बाद ही हमें प्रलेख रिहा करेंगे ।

या

*3. सौदों से संबंधित ऋण और ..... केवल केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए लागू ।

.....

(लेखा अधिकारी का पदनाम और पूरा डाक पता) के लेखों में समंजनीय ऋण के विषय में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह लाइसेंस शर्तों के अनुसार मांगे जाते ही समंजित किया गया है ।

4. आप से अनुरोध है कि फ्रेन्च क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए संविदा अनुमोदित करालें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रेन्च प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें ।

भवदीय,

लाइसेंसधारी, ।

*(जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिए)

अनुबन्ध–III

दस्तावेजों की निदर्शी सूची

(पैरा 28)

1. पोतलदान किए गए उपस्कर के मूल्य तथा किसी भी तत्क्षण भुगतान के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, के लिए वाणिज्यिक बीजक ।

2. जहां लागू हो पैकिंग सूचियों सहित समुद्री मार्ग बेबाक बिलो या चार्टर पार्टी पोतलदान बिलों या वायुमार्ग बिलों जैसा भी मामला हो, का पूरा सेट, यदि कोई प्रमाणपत्र संविदा में निर्धारित किया गया हो तो वह ।

3. आवश्यक सीमाशुल्क दस्तावेजों सहित संभरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रान्स सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी व्यय की प्रतिशतता का फ्रांस संभरकों ने अनुपालन किया है ।

4. अन्य कोई दस्तावेज ।

अनुबन्ध–IV

(कंडिका-39)

..... फ्रेन्च फ्रैन्क .....दिनांक .....
के लिए फ्रैन्च क्रेडिट के अन्तर्गत वित्त युक्त किए गए लदानों के पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातक के बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र ।

(1) आयातक का नाम .....

(2) आयात लाइसेंस की संख्या : .....

(3) बी जी संख्या : ..... दिनांक ..... धनराशि .....
(निजी क्षेत्र के आयातक द्वारा पूर्ण किया जाना है) ।

(4) वित्त मंत्रालय के अनुदेश पत्र की संख्या : ..... दिनांक .....

(5) फ्रैन्च फ्रैन्क में अनुदेश पत्र की धनराशि .....

क्रम संख्या	फ्रेन्च बैंक द्वारा फ्रेन्च संभरकों को अदा की गई धनराशि फ्रैन्च फ्रैन्क	फ्रेन्च बैंक द्वारा संभरक को भुगतान करने की तारीख	कालम 2 में दर्शाई गई धनराशि के बराबर रुपये	1 प्रतिशत आनुषंगिक प्रभार	संभरक को भुगतान की तारीख से रुपये जमा करने की तारीख तक के बीच पड़ने वाले दिनों की संख्या (दोनों दिनों को जोड़कर)
1	2	3	4	5	6
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
कुल					

ब्याज की धनराशि	वास्तविक किए गए कुल निक्षेप	स्टेट बैंक आफ इंन्डिया तीस हजारी/रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली के राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक	*** प्राधिकृत किन्तु अप्रयुक्त धनराशि और जो न समाप्त हो गई हो (5) और कालम 2 का अन्तर
7	8	9	10

(1) उपर्युक्त जानकारी हमारे रिकार्ड से जांच ली गई है और सही पाई गई है ।

(2) उपर्युक्त अनुदेश पत्र के अन्तर्गत फ्रैन्च बैंक के सभी विविध बैंक प्रभार प्रेषित कर दिए गए हैं ।

(3) चूंकि हमारे बी जी संख्या : ..... दिनांक ..... के अनुसार सभी दायित्व पूरे कर दिए गए हैं इसलिए बी जी को कृपया मुक्त कर दिया जाए ।

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976